राष्ट्रीय लोक अदालत–2022

अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 2, बाड़मेर

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19(2) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 10.03.2022 द्वारा आयोजित)

प्रार्थी / वादी / परिवादी – जसु

अप्रार्थी / प्रतिवादी / उत्तरदाता – तहसीलदार बाड़मेर व अन्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रकरण संख्या – राजस्व अपील संख्या 37 / 2020

उपस्थिति :–

1. **श्री नरेन्द्र कुमार, विशिष्ठ न्यायाधीश, अनु. जाति / जनजाति (अ.नि.प्र.) बाड़मेर – अध्यक्ष**
2. **श्री रोहित चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर – सदस्य**

अधिनिर्णय

दिनांक : 12.03.2022

प्रकरण के पक्षकारों के मध्य विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारान ने प्रकरण में समझौता / राजीनामा / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निर्बन्धनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है –

प्रार्थीया जसु की ओर से नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 21.12.2001 में स्वयं के नाम में रही अशुद्धि को दुरस्त करने हेतु प्रस्तुत राजस्व अपील में सहखातेदार जमना द्वारा नाम दुरस्ती में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अनापत्ति जाहिर की है। लिहाजा अपील अपीलान्ट जरिये राजीनामा स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर का नामान्तरकरण आदेश संख्या 21 / 21.12.2001 निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 212 / 32 मौजा हरूपोणियो की ढाणी में अपीलान्ट जसु का नाम दुरस्त कर जसोदा के स्थान पर जसु अंकित करने हेतु पुनः सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करें।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।

जसु

प्रार्थी / वादी / परिवादी

जमना

अप्रार्थी / प्रतिवादी / उत्तरदाता

12/3/2022

(नरेन्द्र कुमार)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनु. जाति / जनजाति (अ.नि.प्र.) बाड़मेर
अध्यक्ष

अध्यक्ष
लोक अदालत

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
सदस्य

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
सदस्य
लोक अदालत

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:12:03 IST
Reason: SelfAttested